(इरशाद अहमद)
चतुर्थ अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

नेशनल लोक अदालत, जिला न्यायालय, कटनी (म.प्र.)
खण्डपीठ :–पीठासीन अधिकारी, खण्डपीठ क्रमांक–05, कटनी (म.प्र.)

खण्डपीठ
क्रमांक–05

क्लेम प्रकरण क्रमांक :–492 / 2021
Filling No.-MACC/1151/2021
संस्थित दिनांक 21.06.2021
C.N.R. NO. MP2101004783-2021

सत्येन्द्र कुमार सिंह पिता राजेन्द्र सिंह यादव आयु–26 वर्ष
हाल निवासी– 1283 पुराना महाराणा प्रताप वार्ड,
नया विश्राम बाबा वार्ड झिंझरी कटनी तहसील
व जिला कटनी (म.प्र.)

::– विरूद्ध –::

01. सुखराम राय पिता श्री बिहारीलाल रायल, उम्र 28 वर्ष,
निवासी–म.नं. 58 ग्राम बछौली देवरी हटाई
थाना बडवारा, जिला कटनी म.प्र.
(वाहन चालक / स्वामी)

02. आई.सी.आई.सी.आई.लोमबार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी
लिमिटेड, द्वारा–शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय पांचवी
मंजिल नैफल हाई स्ट्रीट आशियाना माल के सामने,
होशंगाबाद रोड भोपाल जिला भोपाल म.प्र.
(बीमा कंपनी)

::–अवार्ड–::
(आज दिनांक **12 मार्च, 2022** को पारित किया गया)

1– यह क्लेम वाहन दुर्घटना में आई चोटों के प्रतिकर के लिये धारा–166(1) मोटरयान अधिनियम, 1988 के तहत प्रस्तुत किया है।

2– नेशनल लोक अदालत में आवेदक की ओर से उसके अधिवक्ता श्री आर.के मिश्रा और अनावेदक क्रमांक–2 बीमा कम्पनी की ओर से उसके अधिवक्ता श्री जी.एल.गुप्ता ने एक समझौता पेश किया। दोनों पक्षों को सुना गया। समझौता स्वतंत्र और स्वेच्छिक प्रतीत होता है, अतः समझौता प्रमाणित किया जाता है और समझौते के आधार पर आवेदक के पक्ष में और अनावेदक बीमा कम्पनी के विरूद्ध निम्नानुसार अवार्ड पारित किया जाता है :–

(1) अनावेदक बीमा कम्पनी आवेदक को 65,000/–रूपये (पैसठ हजार रूपये मात्र) प्रतिकर अदा करेगी।

(2) अनावेदक बीमा कम्पनी आज से दो माह के भीतर उक्त राशि जमा

12/3/22
(इरशाद अहमद)
चतुर्थ अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
कटनी (म०प्र०)

Scanned by TapScanner

करेगी, अन्यथा अवार्ड दिनांक से उक्त राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित राशि अदा करेगी।

(3) अनावेदक कमांक–1 के विरूद्ध क्लेम खारिज किया जाता है।

(4) आवेदक द्वारा ईलाज में 1,00,000/– रूपये व्यय होना बताया है, उसे दुर्घटना में सिर, सीने, कमर, दाये हाथ, दाये उंगली, दांये पैर के घुटने, मुंह नाक एवं शरीर के अन्य भाग में अस्थिभंग होना बताया गया है, निश्चित रूप से ईलाज हेतु उसे भर्ती रहना पडा होना और आवागमन, विशेष आहार, अटेंडर आदि का व्यय भी करना पडा होगा। अतः लोक अदालत में राजीनामा एवं उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए तथा आवेदक की आयु को विचार में लेने के पश्चात आवेदक को संपूर्ण 65,000/– रूपये की राशि जमा होने पर बचत खाते के माध्यम से नगद प्रदान की जावे।

(5) राजीनामा की स्थिति को देखते हुए उभयपक्ष अपना–अपना वाद खर्च स्वयं वहन करेंगें।

(6) यह अवार्ड धारा 21 विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1989 (क्रमांक 39/1987) के अनुसा डिक्री का स्थान रखेगा।

(अधिवक्ता/सदस्य)

योगेश सिंह बघेल
(सदस्य)

इरशाद अहमद
(पीठासीन अधिकारी)
खण्डपीठ कं.–05

(इरशाद अहमद)
चतुर्थ अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
कटनी (म०प्र०)

Scanned by TapScanner